

कार्यालय कलेक्टर जिला रायगढ़ एवं पदेन उप सचिव छ.ग.शासन राजस्व एवं अपदा प्रबंधन विभाग
प्रारंभिक अधिसूचना

दिनांक:- 19 अगस्त, 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2019-20 ग्राम गोढ़ी चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित निजी भूमि एन0टी0पी0सी0 तिलाईपाली परियोजना अंतर्गत रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन:-


1. जिला- रायगढ़
2. तहसील- तमनार
3. ग्राम- गोढ़ी
4. क्षेत्रफल- 4.345 हे.


ख.न.	रकबा	ख.न.	रकबा	ख.न.	रकबा	ख.न.	रकबा	ख.न.	रकबा	ख.न.	रकबा
42/1	0.122	20/14	0.020	175/1	0.072	175/2	0.016	228/1	0.089	511/8/ख	0.010
46	0.016	26/8	0.022	87/3	0.040	181/7	0.086	256/2	0.235	511/8/क	0.012
38/1 घ	0.040	20/5	0.122	77/2	0.025	175/3	0.072	229/1	0.016	511/10	0.004
38/1 ख	0.051	20/13	0.060	173/1	0.142	226/2	0.139	259/1	0.040	192/3 193/3	0.020
45/9	0.080	26/7	0.040	175/5	0.076	227/1	0.138	236/1	0.093	511/9	0.045
48/1	0.011	20/11	0.076	181/3	0.001	227/2	0.024	47/1	0.001	513/3	0.040
50/7	0.015	74/2/ग	0.208	171/1	0.097	190/3	0.049	236/3	0.051	557/1	0.059
50/8	0.073	73/2	0.113	169/2 170/2	0.020	190/2/ख 191/2	0.001	257/4	0.051	556/1	0.174
73/11	0.029	74/2/क	0.069	181/6	0.041	230/1	0.048	258/1	0.057	552/5/क	0.140
20/4	0.039	74/2/ख	0.061	180/2	0.064	225/1	0.011	511/7	0.058	553/3/क	0.060
553/2/क	0.050	552/5/ख	0.140	553/1/ख	0.280	553/3/ख	0.080	553/2/ख	0.091		
कुल खसरा नं.-65 कुल रकबा 4.345 हे.											

5. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा) घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

6. उक्त भूमि अर्जन में किसी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार


भूअर्जन अधिकारी
घरघोड़ा जिला रायगढ़


(भीम सिंह)
कलेक्टर रायगढ़ एवं पदेन उप सचिव
छ.ग.शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग